फर्द अहकाम

नियम 26

ायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा मुकाम भादरा

मोहरसिंह आदि बनाम जयवीर आदि

कदमा 212 नं० 04/22 सन् 2022

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
1-2022	आज यह प्रार्थना–पत्र जरिये वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 22.01.2022 को पेश है।	
0-1-22	फरीकैन वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लाई गई। वकील प्रार्थी उम० / मूल वाद विड्रा / खारीज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र स्थल पर खारीज / विड्रा की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	चलाना नहीं चाहिए मोहरसिंह 9.04.22

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner